पत्र सं0–12/निजी–70217/2023 सा0प्र0 4003 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजीव रंजन दास,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 26.2.26

विषयः– **श्री चंदन कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0–763/24, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, पटना सम्प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना के प्रभार रहित अवधि के विनियमन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–20482, दिनांक–01.11.2025 द्वारा श्री आशीष कुमार, भा0प्र0से0 (2022), अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना को स्थानांतरित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़, पटना के पद पर पूर्व से पदस्थापित श्री चन्दन कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0–763/24 के द्वारा दिनांक–01.11.2025 के अपराह्न में अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़ का प्रभार श्री आशीष कुमार, भा0प्र0से0 को सौंपते हुए दिनांक–03.11.2025 के पूर्वाह्न में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान दिया गया। पुनः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–624, दिनांक–09.01.2026 के द्वारा श्री चन्दन कुमार, बि0प्र0से0 को अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना के पद पर पदस्थापित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में श्री कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0–763/24 के द्वारा दिनांक–12.01.2026 के अपराह्न में अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज के पद का प्रभार ग्रहण किया गया।

2. इस प्रकार श्री चंदन कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0–763/24 दिनांक–02.11.2025 से दिनांक–12.01.2026 तक बिना प्रभार के रहे।

3. अतएव श्री चंदन कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0–763/24 के द्वारा दिनांक–02.11.2025 से दिनांक–12.01.2026 तक बिना प्रभार के बिताई गयी अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:–

(i) दिनांक–02.11.2025 को– पारगमण काल के रूप में।

(ii) दिनांक–03.11.2025 से दिनांक–09.01.2026 तक– मौलिक नियमावली के नियम 9(6) (बी)(iv) जो बिहार सेवा संहिता के नियम–14 (बी) के सदृश है, के तहत पदस्थापन हेतु अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में।

(iii) दिनांक–10.01.2026 से दिनांक–12.01.2026 तक– देय उपार्जित छुट्टी के रूप में।

4. श्री कुमार, बि0प्र0से0 को उक्त अवधि में कोटि वेतन देय होगा।

5. विनियमन के निर्णय में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

26/02.2026

(राजीव रंजन दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–12/निजी–70217/2023 सा0प्र0– 4003 /पटना, दिनांक– 26.2.26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, पटना/श्री चंदन कुमार, बि0प्र0से0, को0क्र0–763/24, अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.02.2026

सरकार के उप सचिव।